# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या 14/2018, जी.सी.एम.एस. नं. 2018/00174

1. जगदीश पुत्र बसन्ता
2. रामजीलाल पुत्र शंकर
3. रामलाल पुत्र शिब्बू
4. सुरेश पुत्र सुखराम उर्फ मुखराम
5. लच्छी पुत्र सुखराम उर्फ मुखराम

समस्त जातियान माली निवासीयान सोटन नदी दरबाजे बाहर करौली तहसील व जिला करौली, राज0।

अपी0

बनाम

1. ठाकुरजी मन्दिर श्री सीताराम जी विराजमान छगनघाट (सोटन) नदी दरबाजे बाहर करौली जरिये प्रबन्धकगण एवं नेकस्ट फ्रेण्ड
2. रमेशचंद पुत्र कल्याण प्रसाद
3. बद्रीलाल पुत्र रघुनाथ
4. विष्णुचन्द पुत्र केदार लाल
5. दिनेशचन्द पुत्र बजरंगलाल
6. प्रदीप पुत्र रूग्गीलाल

समस्त जातियान महाजन निवासीयान करौली तहसील व जिला करौली, राज0।

रेस्पों0

(अपील विरूद्व निर्णय व डिग्री न्यायालय उप जिला कलेक्टर करौली मु0न0 18/14 (15/07) निर्णय दिनांक 13.11.17)

31.8.21 राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की ओर से श्री नवल किशोर शर्मा
2. रेस्पोडेंटान की ओर से श्री श्यामप्रकाश गर्ग

निर्णय दिनांक 31.08.2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:56:20 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) के तहत न0 18/14 (15/07) निर्णय व डिक्री दिनांक 13.11.2017 न्यायालय उपजिला कलेक्टर करौली के विरूद्व पेश की गई



Scanned with CamScanner

अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0/वादी की ओर से दावा घोषणा खातेदारी बेदखल व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया गया कि ठाकुरजी सीताराम जी विराजमान मन्दिर ठाकुरजी सीताराम जी छगन घाट (सोटन) नदी दरवाजे बाहर करौली शाश्वत नाबालिग है। इनकी सेवा, पूजा, रख रखाव की व्यवस्था व सम्पत्ति की देखभाल व अन्य कानूनी कार्यवाही हम प्रबन्धक रमेश वगै0 रेस्पों0/वादी द्वारा की जाती है। इससे पहले हमारे बुजुर्गान द्वारा की जाती रही है। रेस्पों0/वादी ठाकुर जी के हित में यह दावा पेश किया गया। हम रमेश वगै0 का रेस्पों0/वादी ठाकुर जी से कोई एडवर्स इन्ट्रेस्ट नहीं है। आराजी खं0नं0 3468, 3469, 3496, 3498, 3500 कुल किता 5 कुल रकबा 1 बीघा वाके शहर करौली रेस्पों0/वादी के खातेदारी व कब्जे कास्त की स्थित है। टीनेन्सी एक्ट लागू होने से पहले से आज तक उक्त आराजीयात के कुल हकूक खातेदारी काश्तकारी रेस्पों0/वादी में वेस्ट करती थी। आज भी विवादित आराजीयात से अपी0/प्रतिवादीगण का किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। सैटलमेन्ट विभाग ने गलत तरीके से बिना किसी कानूनी अधिकार के जमाबंदी में कृषक के कॉलम में अपी0/प्रतिवादीगण के बुजुर्ग बुद्बू के नाम की खातेदारी दर्ज कर दी है। जबकि सैटलमेन्ट विभाग को बिना किसी अदालती आदेश के जमाबंदी में इन्द्राज खातेदारी बदलने का हक नहीं है। रेस्पों0/वादी नाबालिग है और इस गलत इन्द्राज से अपी0/प्रतिवादीगण को कोई हकूक विवादित भूमि में प्राप्त नहीं होते है। दिनांक 16.09.06 को रेस्पों0/वादी ने ठाकुरजी की ओर से अपी0/प्रतिवादीगण से जमीन पर से कब्जा हटा कर रेस्पों0/वादी को संभलाने को कहा तो अपी0/प्रतिवादीगण साफ इंकार हो गये और हकूक खातेदारी रेस्पों0/वादी से इंकार करते हुए कहा कि खाता हमारे नाम है हम कब्जा तुम्हे नहीं देंगे और जमीन में खडे पेडों को नष्ट करेंगे व जमीन में निर्माण कार्य करेंगे एवं अन्य लोगो को रहन वय कर देगें। तब रेस्पों0/वादी ने यह दावा प्रस्तुत किया है। रेस्पों0/वादी की ओर से राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर समस्त फर्जीयत का पता चला है। अपी0/प्रतिवादीगण का विवादित आराजीयात पर बतौर ट्रेसपासर काबिज है। रेस्पों0/वादी विवादित आराजीयात को ठाकुरजी मंदिर के हक में खातेदारी की घोषणा कराने एवं अपी0/प्रतिवादीगण को बेदखल कराकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं रेस्पों0/वादी, अपी0/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। अन्त में दावा रेस्पों0/वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से रेस्पों0/वादी द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पों0/वादी का दावा स्वीकार कर डि[illegible] जाने से व्यथित होकर अपी0/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:56:20 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with CamScanner

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों० को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि निर्णय व डिक्री दिनांक 13.11.2017 अदालत मातहत उपजिला कलेक्टर करौली खिलाफे कानून रूहेदाद मिशल होने के कारण लायके मंसूखी है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि विवादित आराजीयात में राजाशाही जमाने की हम अपीलांट की आबादी बनी हुई है तथा हमने अपने जवाब दावे में दावे को मियाद बाहर बताया है। मियाद के बिन्दु पर तनकी भी नहीं दी तथा माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व के निर्णय में जो आधार रिमाण्ड करते समय दिया था तथा आबादी होने के कारण क्षेत्राधिकार बिन्दु अदालत मातहत को तय करना था जो भी लीगल ग्राउण्ड था उस पर अदालत मातहत ने अपने निर्णय में कोई फाईडिंग नहीं दी है। विवादित नम्बरान में मन्दिर खुद काश्त नहीं रहा है न ही मन्दिर की ओर से रेस्पों० कभी कोई कब्जे काश्त में रहे बल्कि सही स्थिति यह है कि उक्त मन्दिर ठाकुरजी सीताराम जी हमारे बुजुर्गो का बनाया हुआ है तथा मन्दिर की देखरेख भी हम ही करते हैं। रेस्पों० रमेश वगै० ने फर्जकारी कर पेपर ऐन्ट्री करा ली है तथा वह उक्त मन्दिर को गलत तौर पर अपना बना रहे है जबकि रेस्पो० का मन्दिर से कोई संबंध व ताल्लुक नहीं है। विवादित नम्बरान में मियाद का बिन्दु इसलिये भी महत्वपूर्ण है कि आबादी हमारे पूर्वजों के समय की बनी हुयी है जिसमें हम अपने बाल बच्चों सहित रहते है। माननीय न्यायालय ने जो निर्देश दिया है, उसमें रिहायशी भूमि पर राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार न होने की तनकी पर फाईडिंग देने बाबत है परन्तु अदालत मातहत ने न तो सबूत का मौका पर्याप्त तौर पर दिया और न ही इस तथ्य को लिखा है कि राजस्व न्यायालय को विवादित आराजीयात जिसमें आबादी है, को सुनने का इख्तियार हॉसिल है। अदालत मातहत ने फैसला तनकी वाईज नहीं किया है तथा कोई भी स्पष्ट फाईडिंग तनकीयों पर आधारित नहीं दी गई है एवं प्रतिवादी सं. 02 बसन्ता करीब 9 साल पूर्व मर चुका है एवं प्रतिवादी सं. 04 हजारी करीब 5 साल पूर्व मर चुका है। मरे हुये व्यक्तियों के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जो कानून की निगाह में नल एण्ड बोईड है, ऐसी सूरत में पत्रावली हाजा को रिमाण्ड किया जाना आवश्यक है। अदालत मातहत के फैसले की जानकारी दिनांक 11.12.2017 को हुई जिसकी नकल उसी दिन पेश कर दी, नकल दिनांक 14.12.17 को मिली है। इससे पूर्व अपी० को जैर अपील निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हुई। अपी० [illegible] पेश करने तक का समय क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 [illegible] अधिनियम 1963 स्वीकार फरमाया जावें। इस प्रकार उक्त निर्णय का ज्ञान अपीलार्थी को हो सका। अतः अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:56:20 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with CamScanner

की अपील स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावें।

4. रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील में तर्क दिया कि आराजी खसरा नम्बर 3468, 3469, 3496, 3498, 3500 कुल किता 5 कुल रकबा 1 बीघा वाके कस्बा शहर करौली रेस्पो0 की खातेदारी व कब्जे काश्त की स्थित है। रेस्पो0 ठाकुरजी सीताराम जी का मंदिर छगन घाट (सोटन) नदी दरवाजे बाहर करौली में है। रेस्पो0 शाश्वत नाबालिग है जिसकी सेवा, पूजा, रख रखाव की व्यवस्था व सम्पत्ति की देख रेख व अन्य कार्यवाही रेस्पो0 द्वारा की जाती है। रेस्पो0 से पूर्व मंदिर की सेवा पूजा, रख रखाव व देखभाल रेस्पों0 के बुजुर्गो द्वारा की जाती थी। रेस्पो0 ने ठाकुरजी सीताराम जी के हित में यह दावा तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया था। रेस्पों0 का मंदिर के हितो के विपरीत कोई हित नहीं है। विवादित भूमि कस्बा करौली में रेस्पों0 मंदिर के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। सम्वत् 2010 से 13 के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी प्रदर्श–1 में उक्त भूमि मंदिर के तन्हा खातेदारी की भूमि दर्ज है। अपी0 का विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं है। सैटलमेन्ट विभाग ने सम्वत 2015 के वक्त सैटलमेन्ट गलत तरीके से बिना आधार व अनाधिकार के जमाबंदी में कृषक के कॉलम में अपी0 के बुजुर्ग शंकर, शिब्बू पिसरान गंगाधर के नाम खातेदारी दर्ज कर दी है। सैटलमेन्ट विभाग को सम्वत 2015 से पूर्व के राजस्व रिकार्ड इन्द्राज को बदलने का अधिकार बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के नहीं है बल्कि पूर्व राजस्व खातेदारी इन्द्राज को रिपीट करने का कर्तव्य है। रेस्पो0 मंदिर ठाकुरजी सीतारामजी शाश्वत नाबालिग है और इस सैटलमेन्ट गलत इन्द्राज से अपी0 को विवादित भूमि में कोई खातेदारी हक हकूक प्राप्त नहीं होते है। मन्दिर एक नाबालिग संस्था है। इसलिए उसकी भूमि को जो कोई काश्त करता है वह उसके हितो की रक्षा करते हुए करता है न कि उसकी भूमि को ही हडपनेको, चूंकि ठाकुजी शाश्वत नाबालिग है जो स्वयं काश्त करने में असमर्थ है इसलिऐ ठाकुरजी की ओर से जो काश्त करेगा वह ठाकुरजी के अधीन ही काश्त मानी जावेगी, उससे खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त दस्तावेजी साक्ष्यो पर गोर कर प्रकरण में तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी का विधि सम्मत विवेचन कर निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अपी0 को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी होते हुए भी जानबूझ कर अपील देरी से पेश की है। परिसीमन अधिनियम की धारा–5 के बारे में कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम 1963 खारिज फरमाया जावें। अतः अपील की अपील खारिज फरमाई जावे ।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया, पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:56:20 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with CamScanner

6. प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमन अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

7. नकल जमाबंदी(खेवट खतौनी) ग्राम कस्बा करौली चकशर्की तहसील करौली सम्वत् 2010–13 के खतौनी सं. 103 में विवादित आराजी के साबिक खसरा नम्बरान माफी पुन्यार्थ मंदिर श्री सीताराम जी वाके करौली के नाम अंकित है। मिलान क्षेत्रफल मौजा करौली प्रदर्श–2 तहसील करौली सम्वत् 2015 के अनुसार साबिक खसरा नम्बरान से हाल विवादित नम्बर बनना स्पष्ट है। भू–प्रबंधक विभाग राजस्थान के खतौनी बंदोबस्त(जमाबंदी) ग्राम करौली तहसील करौली के क.सं. 2120 पर कृषक के कॉलम में विवादित आराजी शंकर, शिम्भू पिसरान गंगाधर कोम माली सा0 देह दर्ज है। यह भूमि इनके नाम किस प्रकार अंकित हुई है इसका कोई रिकार्ड पत्रावली पर नहीं है। अपीलार्थी द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजात आदि पेश नहीं किये है जिससे उनका हक सम्वत् 2010 से पूर्व का होना साबित करता है। सम्वत् 2010–13 के जमाबंदी में भूमि मंदिर सीताराम जी की अंकित होना स्पष्ट है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तनकी वाद विवेचन व विश्लेषण कर विस्तृत रूप से गुणावगुण के आधार पर पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इसलिये अपील खारिज होने योग्य है।

8. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली का मु0 नं0 18/14 (15/07) निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.11.17 को यथावत रखा जाता है।

9.निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.8.21

(बी0एल0रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:56:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner